



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022026-270351
CG-DL-E-20022026-270351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2026/माघ 30, 1947

No. 132]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 138(अ).— केन्द्रीय सरकार, मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014 के नियम 31 के उप-नियम (4) के खंड (ग) में, "और दिल्ली के मामले में राष्ट्रीय नेटवर्किंग संगठन द्वारा" शब्द का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एस.12011/05/2024-एमजी/एमएस]

विजय नेहरा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 218(अ), तारीख 27 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.821(अ), तारीख 6 नवम्बर, 2025 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2026

G.S.R. 138(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, in rule 31, in sub-rule (4), in clause (c), the words “and by the National networking organization in case of Delhi” shall be omitted.

[F.No. S.12011/05/2024-MG /MS]

VIJAY NEHRA, Jt. Secy.

Note: The Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section-3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 218(E), dated the 27th March, 2014 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. No. 821(E), dated the 6th November, 2025.